न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –संजय शर्मा

जी.सी.एम.एस. संख्या :–2022/5
प्रार्थना पत्र संख्या 04/2022 तारीख रजू 03.03.2022

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

...........प्रार्थी

बनाम

1. मदन पुत्र स्व0 चिरंजी नाथ निवासी नीमोद तह0 मलारना डूंगर
2. हंसराज पुत्र स्व0 चिरंजी नाथ निवासी नीमोद तह0 मलारना डूंगर
3. रामकन्या पत्नि स्व0 चिरंजी नाथ निवासी नीमोद तह0 मलारना डूंगर

............अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 08.04.2026

तहसीलदार मलारना डूंगर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन) नियम 1968 के नियम 17 (क) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1974 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा चिरंजी पुत्र देवा नाथ निवासी नीमोद तह0 मलारना डूंगर को आराजी ख0नं0 47 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी 2 वाके ग्राम नीमोद तहसील मलारना डूंगर में आवंटन आदेश 09.06.1974 द्वारा आवंटन किया गया था। उक्त आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा–16 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि (चरागाह) से आवंटन होने के कारण आवंटन निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण बाद तामिल अनुपस्थित। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

वकील पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि चिरंजी पुत्र देवा नाथ निवासी नीमोद तह0 मलारना डूंगर को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 47 रकबा [illegible] व पटवारी हल्का निमोद की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी को आवंटित भूमि चर[illegible]टन होने के कारण नियमानुसार खारिज योग्य है। अतः पेरोकार सरक[illegible]मिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1974 को निरस्त [illegible] किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:20 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अप्रार्थी को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने के पश्चात भी अप्रार्थीगण आदिनांक तक असालतन एवं वकालतन उपस्थित नहीं हुए। अतः अप्रार्थीगण को न्यायालय में उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र के अनुसार चिरंजी पुत्र देवा नाथ निवासी नीमोद तह0 मलारना डूंगर को आराजी ख0नं0 47 रकबा 0.25 है0 किस्म बारानी 2 वाके ग्राम नीमोद आवंटित की गई थी। भू.अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का निमोद की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी को आवंटित भूमि चरागाह आवंटन होने के कारण नियमानुसार खारिज योग्य बतलाई गई है। मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि अप्रार्थीगण के कब्जेकाश्त की होना बताया गया है, किन्तु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17(क) के साथ प्रस्तुत नामान्तकरण संख्या 186 का अवलोकन करने पर उक्त आवंटित भूमि चरागाह भूमि से आवंटित की गई है जोकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा–16 में वर्णित प्रतिबंधित श्रेणी की भूमि (चरागाह) होने के कारण आवंटन योग्य नहीं है। अतः मेरी राय में तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17(क) स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना सरकारी भूमि का आवंटन) नियम 1968 के नियम 17 (क) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आवंटन आदेश दिनांक 09.06.1974 खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम नीमोद के आराजी ख0नं0 47 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम नीमोद को राजस्व अभिलेख में पुनः चरागाह दर्ज की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:13:20 IST
Reason: SelfAttested